

पत्रांक 2465 / 10एल.ए.
सेवा में,

दिनांक 05 / 12 / 2024

प्रभागीय वनाधिकारी,
बदीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर (चमोली)।

विषय:- जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग में शहीद भगतसिंह मार्ग (तेफना-कण्डारा मोटर मार्ग) के कि.मी. 3.00 से चटिंग्याला-कोटी-नौली-हिण्डोली होते हुए सोनला-कण्डारा मोटर मार्ग के कि.मी. 16.00 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.307 है० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 2912/एफ.यू./यू.के./रोड़/18867 / 2016 देहरादून दिनांक 24.06.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव में भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी./यू.सी.पी. / 06/62/2016/एफ.सी./1463 दिनांक 16-12-2016 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में भारत सरकार के द्वारा दी गई शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत् संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.59 है० मोख तल्ला सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को सम्मिलित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम-सुनाली की सिविल भूमि का वन विभाग के नाम नामान्तरण राजस्व अभिलेखों में किया जा चुका है। संलग्न:-1
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05-02-2009 के तहत हये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की धनराशि जमा की जायेगी।	विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुरूप एन.पी.वी. की धनराशि CAMPA के खाते में जमा कर दी गई है। संलग्न-2
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाय।	एन.पी.वी. की दर में बढ़ोतरी होने पर बढ़ी हुई धनराशि जमा कर दी गई है। संलग्न-1
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05-02-2019 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online portal के माध्यम से जो चालान Generate होता है। उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाय।	विभाग द्वारा एन.पी.वी. एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से CAMPA के खाते में जमा कर दी गई है। संलग्न-1
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय का वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	सड़क निर्माण के बाद सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर व विभाग के निर्देशानुसार वृक्षारोपण किया जायेगा। संलग्न:-1
6	State Govt. will provide original copy of rivised village level committee proceeding under FRA and digital map of the forest land proposed for diversion and the land identify for	प्रस्तावित मार्ग का FRA एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्रपत्र एवं डिजिटल मानचित्र की

CA which have been uploaded in digital web portal	प्रति संलग्न कर दिया गया है। संलग्न:-
---------------------------------------------------	------------------------------------------

अतः उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण शर्तों की अनुपालन आख्या तैयार कर ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) पर अपलोड कर वनभूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

9/c

(इं. नवीन लाल वर्मा)
अधिशायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.,
कर्णप्रयाग।

दिनांक 05/12/2024

पत्रांक 2465/10एल.ए.

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी चमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियन्ता, सातवाँ वृत्त, लो.नि.वि., गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

9/c

(इं. नवीन लाल वर्मा)
अधिशायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.,
कर्णप्रयाग।

11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

पत्रांक 5725

/12-1

दिनांक, गोपेश्वर,

20/06/2022

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग।

विषय:-
संदर्भ:-

Date and stage of application of the revised rates of Net present Value (NPV)-reg.
मुख्य वन संरक्षक, (गढ़वाल), उत्तराखण्ड पौड़ी की पत्र संख्या-2183/12-1 दिनांक
25-04-2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की पत्र सं०-5-3/2011-एफ०सी०(voi-i) दिनांक 19-01-2022 द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में एन०पी०वी० की देय धनराशि के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जारी निर्देशों के अनुसार ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण जिनमें 06-01-2017 से पूर्व सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है तथा दिनांक 06-01-2022 तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। ऐसे प्रकरणों में एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। आपके वन प्रभाग से सम्बन्धित प्रकरण जिनमें एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है जिनका विवरण निम्नानुसार है-

प्रस्ताव का नाम	पूर्व में एन०पी०वी० की जमा धनराशि (रु० में)	एन०पी०वी० की धनराशि में बढोत्तरी दिनांक 06-01-2022 के अनुसार एन०पी०वी० की दर (रु० प्रति है० में)	हस्तान्तरित वन भूमि (है० में)	06-01-2022 की दरों के अनुसार जमा की जानी वाली धनराशि (रु० में) कॉलम सं० (2x3) के अनुसार	अवशेष जमा की जानी वाली धनराशि (रु० में) कॉलम सं० (4-1) के अनुसार
1	2	3	4	5	6
तेफना कण्डारा मोटर मार्ग के किमी० 3.00 से चटिग्याला-कोटी-नौली-हिण्डोली होते हुए सोनला-कण्डारा-मोटर मार्ग के किमी० 16.00 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.307 है० वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग का प्रत्यावर्तन।	858699.00	1005210.00	1.307	1313809.47	455110.47
मोख-बासवाडा-बारों मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु सिविल वन पंचायती भूमि का प्रस्ताव।	1161615.00	1005210.00	1.295	1301746.95	140131.95

अतः विषयांकित प्रकरण में उपरोक्त टेबिल के कॉलम सं० 06 में अवशेष जमा की जाने वाली धनराशि ऑनलाईन चालान के माध्यम से यथाशीघ्र जमा कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें, ताकि सूचना अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण देहरादून को प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

[Signature]
प्रभागीय वनाधिकारी,
गोपेश्वर।

Paid

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund
Date : 22-12-2023

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PIF/Application No.	6110177073
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/62/2016/FC
Address.	Provincial Division, PWD, Karanprayag, Distt.-Chamoli (Uttarakhand) Chamoli
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepdpwdkpg@gmail.com 9412974295 1363-244204
Amount(In Rs)	455110/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words: Four Lakh Fifty-Five Thousand One Hundred and Ten Rupees Only

Depositor Signature (Signature) *S95018646*

Bank's Transaction Number <i>A570277</i>	Branch Stamp
---------------------------------------------	--------------

20/12/2023

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

CAMPA-MOEF Copy

यूनियन बैंक Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund
Date : 22-12-2023

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PIF/Application No.	6110177073
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/62/2016/FC
Address.	Provincial Division, PWD, Karanprayag, Distt.-Chamoli (Uttarakhand) Chamoli
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepdpwdkpg@gmail.com 9412974296 1363-244204
Amount(In Rs)	455110/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words : Four Lakh Fifty-Five Thousand One Hundred and Ten Rupees Only

Depositor Signature (Signature) *S95018646*

Bank's Transaction Number <i>A570277</i>	Branch Stamp
---------------------------------------------	--------------

20/12/23

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: hq@desk

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank


608202023/230324245


परियोजना का नाम- जनपद चमोली में तेफना कण्डारा मोटर मार्ग के कि.मी. 3 से चटिंग्याला कोटी नोली हिण्डोली हेते हुए सोलना कण्डारा मोटर मार्ग के कि.मी. 16 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.307 है. वनभूमि का हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।


रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग के पश्चात सड़क के दोनों तरफ आस-पास के रिक्त स्थानों पर यथा सम्भव विभाग अपने व्यय पर वृक्षारोपण करेगा।


अमान
लो.नि.वि.


कनिष्ठ अभियन्ता
लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग


सहस्यक अभियन्ता
लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग



अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग



अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग


परियोजना का नाम- जनपद चमोली में तेफना कण्डारा मोटर मार्ग के कि.मी. 3 से चटिंग्याला कोटी नोली हिण्डोली हेतु हुए सोलना कण्डारा मोटर मार्ग के कि.मी. 16 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.307 है. वनभूमि का हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।


एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।


अमान
लो.नि.वि.


कमिष्ठ. अभियन्ता
लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग


अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग



अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

**Office of the District Collector,
District-Chamoli (Uttarakhand)**

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act)FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Sanjay Kumar, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 14.01.2015. At Chamoli in which the application claiming rights in village Thapli of Tehsil-Karanprayag, area Measuring 1.307 Hectares for the **Construction of Tefna kandara, Sonla kandara via chatingyala-koti-nauli-hindoli motor road** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Karanprayag Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.


Sanjay Kumar
District Magistrate -cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

प्रपत्र-23.2
परियोजना का नाम :- मा. मुराधमाली जी की घोषणा के जल्द जनजाति
यमाली के विकासवर्ग कर्णप्रभाग में राष्ट्रीय हाइवेसिस्ट मार्ग
तेफना कण्डार मोटर मार्ग के किमी. 3.00 से होते हुए तेफना
कण्डार मोटर मार्ग के किमी. 16.00 तक मोटर मार्ग का तब निर्माण
कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र
उपखण्डस्तरीय समिति

उपखण्ड कर्णप्रभाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत तेफना कण्डार के किमी. 3.00 से तेफना कण्डार के
किमी. 16.00 तक निर्माण (अन्तः) हे० आरक्षित वन भूमि 0.870 हे० सिविल एवं सोयम वनभूमि ..
0.43 हे० वनपंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.30 हे० वनभूमि) का लो. ए. वि. वि.
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य
परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत
उपखण्डस्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रभाग) की दिनांक 13-01-15 को सम्पन्न
बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति की
बैठक श्री किराणा रोड तेफना उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्डस्तरीय वनअधिकार
समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति
निम्नानुसार है।

- 1- श्री. सिद्धा. सि. द. लो. जी. उपजिलाधिकारी अध्यक्ष
- 2- श्री. शिवानन्द सुभा उपप्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
जमोली उप वन प्रभाग
शुभेवर (जमोली)
- 3- श्री. मोहन सिंह अण्डी सहायक समाजकल्याण अधिकारी (कर्णप्रभाग) सदस्य सचिव
- 4- श्री. भा. दे. पा. शा. दे. ए. व. वनाधिकार समिति सदस्य
- श्री. ज. ली. सु. श. का. रा. व. वनाधिकार समिति सदस्य (सु. श. का. रा. व.)
- श्री. मा. दे. पा. शा. दे. ए. व. वनाधिकार समिति सदस्य

दिनांक 8-1-2018 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति


ग्रामपंचायत कण्डारा (जिल्हा प्रशासना, कोरी, नौली, दिण्डोली, बांतोली)
सुनली

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री बलवीर सिंह रावत	
2-	श्री जयसिंह रावत	
3-	श्री चन्द्रसिंह रावत	
4-	श्री मनोज सिंह रावत	
5-	श्री मोहन सिंह रावत	
6-	श्री पुन सिंह रावत	
7-	श्री उमेश सिंह रावत	
8-	श्री गिरिश चन्द्र पन्त	
9-	श्री पेम पन्त	
10-	श्री जगदीश प्रसाद पन्त	
11-	श्री धनश्याम पन्त	
12-	श्री ललीता प्रसाद पन्त	
13-	श्री बेलारा चन्द्र	
14-	श्री मनोज पन्त	
15-	दयाल सिंह	
16-	मजु देवी	
17-	कुंवर सिंह रावत	
18-	रघुनाथ सिंह	

ह0/-
ग्रामप्रधान



डिजिटल मैप – जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग में शहीद भगत सिंह मार्ग (तेफना कण्डारा मोटर मार्ग) के कि०मी० 3 से चटिंग्याला कोटी नौली हिण्डोली होते हुए सोनला कण्डारा मोटर मार्ग के कि०मी० 16 तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल



Legend



Proposed Plantation

[Signature]

J.E

[Signature]
ME

प्रभागीय वन्यारक्षक
वर्दीनाम का कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग

अधिकारी अभिवक्ता
प्रांतीय खण्ड, ल. वि. वि.
कर्णप्रयाग (चमोली)


022018


NEFT/RTGS CHALLAN

Untitled Page

113101772015891	ROAD101772015691	113101772015891	16 Dec 2016	CA: 14227/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 0/- Other Charges: 0/- Total: 14227/-	<input checked="" type="checkbox"/> Paid Add CA: 0/- CAT: 0/- Add PA: 0/- Other Charges: 0/-	Fund Demand : 26 Sep 2017 Verified by : Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated : 13 Oct 2017 Transaction Date : 03 Nov 2017	Demand Letter Generated Challan
-----------------	------------------	-----------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

P. S. ...


 श्री. ...
 श्री. ...
 श्री. ...


 श्री. ...
 श्री. ...

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no- 01372-252175

पत्रांक 1190 / 12-1, गोपेश्वर, दिनांक 16/09 2017।

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग।

विषय-

जनपद घमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग में शहीद गगत सिंह मार्ग (तेफना कण्डारा मोटर मार्ग) के किमी 0 3.00 से घटियाला-कोटी-नौली-शिण्डोली होते हुए रोनाला कण्डारा मोटर मार्ग के किमी 0 18.00 किमी 0 तक मोटर मार्ग के निर्माण 1.307 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी का पत्रांक 1656/FP/UK/Road/10177/2016 दिनांक 22.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो आपको एवं इस कार्यालय को सम्बोधित है के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार की पत्र सं०-08वी/यू०सी०पी०/०६/६२/२०१६/एफ०सी०/१४६३, दिनांक १६.१२.२०१६ द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप शर्तों की अनुपालन आख्या/डिमाण्ड मात्र पत्र इस कार्यालय की पत्र सं० ३५४५/१२-१ दिनांक १२.०१.२०१७ से प्रेषित की गई, परन्तु धनराशि जमा न होने के कारण नये वित्तीय वर्ष में अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने पर पुनः डिमाण्ड मांग प्रेषित किया जा रहा है:-

1. शर्त सं०-०१ के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले २.६१४ हे० ग्राम सुनाली सिविल सोयम भूमि पर वृक्षारोपण एवं उसके १० वर्षों तक रखरखाव हेतु देय धनराशि रु० ६,६२,२०९.०० (रु० छः लाख बासठ हजार दो सौ नौ) मात्र जमा की जानी है एवं उक्त सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण एवं हस्तान्तरण किया जायेगा।
2. शर्त सं०-०२ के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं० ६-३/२००७-एफ०सी० दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) हेतु देय धनराशि रु० ८,५८,६९९.०० (रु० आठ लाख अठ्ठावन हजार छः सौ निनानब्बे) मात्र जमा की जानी है।

ईको क्लास	ईको क्लास घनत्व	धनराशि	हे०	देय धनराशि (लाख में) कॉलम (३ x ४)
1	2	3	4	5
V	0.2 (Open forest)	६,६७,०००.००	१.३०७	८,५८,६९९.००

3. शर्त सं०-०३ के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बढ़ता प्रस्तुत करनी होगी।
4. शर्त सं० ०४ के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं० ०१ व ०२ में देय धनराशि ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जायेगी तथा सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
5. शर्त सं०-०५ के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बढ़ता प्रेषित करनी होगी।
- 6- State Govt. may provide original copy of revised village Level Committee proceeding under FRA and digital map of the forest land proposal for diversion and the land identify for CA which have been uploaded in online web portal.

अतः आप भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण विनियुक्त अनुपालन आख्या संलग्नकों सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या विधिवत स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की जा सकें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

पत्रांक:-

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पत्रांक- 2686/1102A धन 21/9/17

प्रतिलिपि संख्या ० (घाट) / अक्षर को सुनकर एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

3/9/17

- आदेश -

2332/10/11-11
20-9-2017

जनपद चमोली के अन्तर्गत तेफना-कण्डारा-चटिंग्याला-कोटी-नौली-हिण्डोली होते हुये सोनला कण्डारा मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.307 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 2.614 है० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं०-08बी/यू०सी०पी०/06/62/2016/एफ०सी०/1463 दिनांक 16.12.2016 की शर्त सं०-1 के अनुसार उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के अन्तर्गत तेफना-कण्डारा-चटिंग्याला-कोटी-नौली-हिण्डोली होते हुये सोनला कण्डारा मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.307 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम सुनाली प०वृ० मंगरोली तहसील कर्णप्रयाग की सीमान्तर्गत चिन्हित ख०खा०सं०-06 के खसरा सं०-1458 रकबा 1.720 है० भूमि मध्ये 1.600 है० एवं खसरा सं०-1456/1549 रकबा 11.033 है० भूमि मध्ये 1.014 है० भूमि अर्थात् कुल 2.614 है० भूमि, जो कि उत्तराखण्ड सरकार की नॉनजेडए श्रेणी-9(3) ड. अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज हैं, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं०-2173/XVIII(III) /2012-18 (120) /2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(आशीष जोशी),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: 5969/छब्बीस-32 (2016-2017) गोपेश्वर: दिनांक: 13 सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, कर्णप्रयाग।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग।

20-2690/10LA M 21/2017

प्रतिलिपि संख्या 32 (2016-2017) गोपेश्वर: दिनांक: 13 सितम्बर, 2017

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशीष जोशी)
जिलाधिकारी,
चमोली।

11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

पत्रांक

दिनांक, गोपेश्वर, 23 अप्रैल 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषय-

जनपद चमोली के विकाखण्ड कर्णप्रयाग में शहीद भगत सिंह मार्ग (तेफना-कण्डारा-सोहरा-मारी) के किमी 0 3.00 से चटिग्याला-कोटी-नौली-हिण्डोली होते हुए सोनला-कण्डारा मोटर मार्ग के किमी 0 18.00 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.307 है 0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ-

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र सं 0 08बी/यू0सी0पी0/06/62/2016/एफ0सी0/1488 दिनांक 23.10.2018 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन-संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून का ऑनलाईन दिनांक 04.11.2020.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.307 है 0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण देहरादून द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रेषित की गयी, जिसमें भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून की पत्र सं 0 08बी/यू0सी0पी0/06/62/2016/एफ0सी0/1488 दिनांक 23.10.2018 से कुछ कमियों के निराकरण हेतु वापस किया गया है। चाही गयी बिन्दुओं की सूचना निम्नानुसार प्रेषित है:-

- 1- बिन्दु सं 0 01- रू 0 6,62,209/- की घनराशि की संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना की तीन-तीन प्रतियां संलग्न की जा रही है तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल ग्राम चुनाली सिविल भूमि का आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्न-1, 2)
- 2- बिन्दु सं 0 02- त्रुटिवश एन0पी0वी0 के आंगणन में ईको क्लास की श्रेणी V dense forest लिया गया, जिस कारण एन0पी0वी0 का मूल्य 11,04,415.00 आंकलित किया गया। संशोधित एन0पी0वी0 के आंगणन रू 0 8,58,669.00 की छाया प्रति संलग्न की जा रही है। जिसके अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की घनराशि जमा की गयी है। (संलग्न-3)
- 3- बिन्दु सं 0 03- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा Village level committee proceeding under FRA and digital map of the Forest land proposed for diversion and the land identify for CA की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्न-4)

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।
संलग्न- यथोपरि।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक- 4730 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग, को सूचनार्थ प्रेषित।

कामान (RK LACC)


24/05/2022
205722

(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

P.T.O


डिजिटल मैप - जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग में शहीद भगत सिंह मार्ग (तेफना कण्डारा मोटर मार्ग) के कि०मी० 3 से चटिंग्याला कोटी नौली हिण्डोली होते हुए सोनला कण्डारा मोटर मार्ग के कि०मी० 16 तक मोटर मार्ग का नव निर्माण








अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

डिजिटल मैप - जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग में शहीद भगत सिंह मार्ग (तेफना कण्डारा मोटर मार्ग) के कि०मी० 3 से चटिंग्याला कोटी नौली हिण्डोली होते हुए सोनला कण्डारा मोटर मार्ग के कि०मी० 16 तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

0 0.5 1 1.5 2Km



Legend

-  Proposed Plantation
-  Reserve Forest
-  Reserve Forest Boundary
-  Forest Range Boundary
-  Forest Forest Boundary

Abhishek
J.E

[Signature]
सहायक जल संयोजक, कर्णप्रयाग

अधिसूचना अधिनियम
प्रान्तीय स्वयं, लो. वि. वि.
कर्णप्रयाग (चमोली)

अधिसूचना अधिनियम
प्रान्तीय स्वयं लो० वि० वि०
कर्णप्रयाग

